E-Mail- caodlb@gmail.com Tel./Fax No.- 0141-2223074

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur

क्रमांकः प.6 लेखा/RTIDF/हडको ऋण/डीएलबी/2018-19/2957 दिनांक : 27/02/2019

-:स्वीकृति आदेशः-

राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि (RTIDF) संचालन समिति की 12वीं बैठक दिनांक 27.02.2018 के बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक 31996 दिनांक 06.03.2018 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 12.5.9 मे लिए गये निर्णय के क्रम में कार्यकारी निदेशक अरबन ड्रिकिंग वाटर सिवरेज एण्ड इन्फ्राट्रेक्चर कॉरपोरेशन लि. (रूड़सिको) को राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों आरयूआईआरपी फेज-प्रथम एवं द्वितीय के अन्तर्गत कियान्वयन किये जा रहे कार्यो हेतु हुड़को से लिए गई ऋण राशि रू. 1056.00 करोड़ के चुकाने हेतु 28 फरवरी 2019 तक देय राशि रू. 3801.94 लाख मे से रूड़सिकों को निधि से उपलब्ध करवाई गई अग्रिम राशि रू. 3040.00 लाख को समायोजन करते हुए उक्त उपलब्ध राशि ऋण राशि के पेटे भुगतान करने एवं शेष राशि रू. 761.94 लाख (अक्षरे रू. सात करोड़ इकसठ लाख चौरानवे हजार मात्र) कार्यकारी निदेशक अरबन ड्रिकिंग वाटर सिवरेज एण्ड इन्फ्राट्रेक्चर कॉरपोरेशन लि. के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरण निम्नानुसार किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की ओर से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती हैं-

(राशि लाखों में)

विकलेय मद	**जारी की जाने वाली राशि**
मांग संख्या - 29 2217 - शहरी विकास 80 - सामान्य 800 - अन्य व्यय (08) - राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि [01] - स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से 93 - पूंजीगत परिसंपतियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान (राज्य निधि)	761.94
कुल योग	**761.94**

उक्त राशि हस्तांतरण की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन जारी की गई हैः-

01. रूडसिको राशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जाना सुनिश्चित करेगा, जिस हेतु राशि जारी की गई है। किसी भी स्थिति में अन्य उपयोग में नहीं ली जावेगी।
02. ऋण राशि में ब्याज का पुनर्भुगतान ऋण की शर्तो के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करेगा।
03. रूडसिको इस राशि के व्यय में RTPP Act 2012/Rules 2013 संबंधित वित्तीय नियमों एंव निर्धारित प्रक्रियाओं की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेगा।
04. रूडसिको योजना के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार ही उक्त राशि व्यय करेगा।
05. रूडसिकों द्वारा इस राशि को बैंक अथवा अन्य प्रकार से विनियोजित नहीं किया जायेगा।
06. राशि का पीडी खाते से आहरण निधियों की वास्तविक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की **आई.डी. क्रमांक 171900122 दिनांक 22.02.2019** द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः प.6 लेखा/RTIDF/हडको ऋण/डीएलबी/2018-19/2958-71 दिनांक :

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।

03. महालेखाकर (लेखा एवं हक)/लेखा परीक्षा–प्रथम/द्वितीय, राजस्थान जयपुर।
04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
05. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
06. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–3) विभाग, राज0 जयपुर।
07. कार्यकारी निदेशक, रूडसिको, लालकोटी, जयपुर।
08. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि राशि रूपये 761.94 लाख (अक्षरे रूपये सात करोड़ इकसठ लाख चौरानवे हजार मात्र) कार्यकारी निदेशक, रूडसिको के निजी निक्षेप खाता में राशि हस्तान्तरित करने का श्रम करावें।
09. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।
10. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय।
11. प्रभारी वेबसाईट/समन्वयक सी.एम.ए.आर. को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. प्रभारी अंक मिलान शाखा।

(एस.आर.मीणा)
परियोजना निदेशक